# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

20

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3667/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 526/अपील/2015-16.

---

संदीप पिता श्री गोपाल सनोटिया
निवासी- 16/6, साउथ तुकोगंज,
इंदौर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. धीरेन्द्र कुमार पिता श्री ब्रजलाल मेहता
   निवासी- 203, श्रीजी अपार्टमेंट, 10/4,
   स्नेहलतागंज, इंदौर, म.प्र.
2. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

---

श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंरौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 23.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम लसूडिया मोरी स्थित भूमि कुल रकबा 0.022 हैक्टेयर भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2013 के आधार पर नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार, विजयनगर क्षेत्र, तहसील इंदौर द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-6/2014-15 दर्ज कर प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि पटवारी प्रतिवेदन अनुसार सर्वे क्र. 76 मिसल बंदोबस्त में

ईनाम देवस्थान, काली-1 अकिफ चोरस बंदोबस्त 2.50 श्रीराम मंदिर पुजारी गंगाधर व विष्णु पिता परशुराम बा.सा. देह के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, विजयनगर क्षेत्र, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.09.2016 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील सुनवाई हेतु अग्राह्य की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किये बिना सन् 1925 में यह भूमि शासकीय भूमि होने के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

(2) दिनांक 02.10.1959 को जब म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रभावशील हुई, उस समय यह भूमि आवेदक के पूर्व हितधारी गृत्समद विष्णु गौरे के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। इस प्रकार यह भूमि निजी व्यक्ति के नाम पर संहिता प्रभावशील होने की दिनांक को राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। दिनांक 02.10.1959 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रभावशील हुई तथा संहिता की धारा 158 के अंतर्गत आवेदक के पूर्व हितधारी को भूमिस्वामी के स्वत्व प्राप्त हो चुके थे, इस कारण मिसल बंदोबस्त में किसी समय यह भूमि शासकीय अंकित रही भी हो तो भी राजस्व अभिलेखों में दिनांक 02.10.1959 के पश्चात् निरंतर आज दिनांक तक यह भूमि निजी व्यक्ति के नाम पर अंकित होती चली आर ही है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा क्रय की गई भूमि निजी व्यक्ति के स्वामित्व की रही होने से किसी भी रूप में शासकीय भूमि रही ना होने के कारण आवेदक के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई इस भूमि पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया जाना संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत आवश्यक था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख को बिना देखे तथा उसका बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 76 की भूमि वर्तमान में करीब 12 व्यक्तियों के नाम पर अंकित होकर इसका

बटांकन स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में निजी व्यक्तियों के नाम पर अंकित है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों के विपरीत जाकर प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925 में शासकीय भूमि रही होने के आधार पर आवेदक का नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के आसपास सर्वे नंबर 76 में निजी व्यक्तियों के द्वारा भूमि का विकास कर उस पर निर्माण कार्य भी किया गया है। यह स्थिति राजस्व अभिलेखों से भी स्पष्ट होती है। इस कारण बिना राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किये आवेदक का नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय संहिता की धारा 109-110 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(6) आवेदक के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर निजी व्यक्ति से क्रय की है। उक्त विक्रेता के नाम से यह भूमि निजी भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित रही है। इस कारण यह शासकीय भूमि रही ना होने के कारण विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया जाना आवश्यक था। इसके उपरांत भी आवेदक का आवेदन पत्र बिना अभिलेख तलब किये तथा बिना प्रकरण का अवलोकन किये अपर आयुक्त के द्वारा किया गया है। इस कारण अपर आयुक्त का निर्णय अवैध होने के कारण निरस्ती योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश विधि विधान एवं प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण किया जाना आदेशित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है तथा अनावेदक क्र. 2 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन मंदिर की भूमि शासकीय भूमि है तथा शासकीय भूमि, भूमि स्वामी हक में कैसे हस्तांतरित हुई है, यह आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जानें योग्य है। तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर